न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 50 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.नाथुसिंह पुत्र स्व. मघसिंह
2.शैतानसिंह पुत्र स्व. मघसिंह
3.मनोहरसिंह पुत्र स्व. मघसिंह
4.जेठूसिंह पुत्र स्व.मघसिंह जाति राजपूत निवासी दवाड़ा।
5.सांवतकंवर पत्नी छुगसिंह पुत्री मघसिंह निवासी ग्राम मुगेरीयाए जिला बाड़मेर।
6.नकूकंवर पत्नी मघसिंह निवासी ग्राम दवाड़ा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर
7.श्रीमती फुलकंवर पत्नी भीखसिंह
8.श्रीमती गजकंवर पत्नी भभुतसिंह
9.श्रीमती अगरकंवर पत्नी गोमसिंह निवासी माधोपुरा साकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
10.भगवानसिंह पुत्र श्री राणसिंह
11.गिरधरसिंह मर्तबना राणसिंह जातियान राजपूत निवासी दवाड़ा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 22/2009 बनवान मघसिंह का मु नाथुसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री धर्माराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक:– 03.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम दवाड़ा के खसरा संख्या 681 रकबा 156.05 बीघा, खसरा संख्या 682 रकबा 153.14 बीघा व खसरा संख्या 683 रकबा 114.05 बीघा कुल रकबा 424.04 बीघा का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 30.09.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। वादीगण/रेस्पोडेंट के खाते में सीलिंग सीमा में धारण करने योग्य भूमि से भी अधिक भूमि की खातेदारी घोषणा की गई है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि समरी बंदोबस्त में खेत खसरा संख्या 53, 54, 58 व 59 संयुक्त रकबा 1380.05 बीघा वादीगण के वालिदान स्व. मघसिंह व मु0 सिरियो के नाम पर भू राजस्व कायम होकर वसूल होना भी ढाल बाछ की नकल से साबित है। तुलनात्मक रजिस्टर में व खसरा बंदोबस्त में वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रहा है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की गई जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से न्यायालय को अवगत करवायाः–

RRT 2003(2) Page 1027
RRT 2016(1) Page 374
RRT 2013(1) Page 226

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार फतेहगढ़ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के निर्णय दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील तकरीबन 2 वर्ष 05 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 30.09.2014 से रही हैं। अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2008(2) Page 1095
RRT 2009(2) Page 994
RRT 2011(2) Page 851
RRT 2010(2) Page 801
RRT 2015(1) Page 232

अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों एवं धारा 05 परीसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र के साथ पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि वादीगण की यह भूमि इससे पूर्व भी (प्रदर्श 2) जमाबंदी ग्राम दुवाड़ा संवत 2016 से संवत 2020, (प्रदर्श 3) जमाबंदी ग्राम दुवाड़ा संवत 2021 से संवत 2024, (प्रदर्श 4) जमाबंदी ग्राम दुवाड़ा संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श 5) जमाबंदी ग्राम दुवाड़ा संवत 2029 से संवत 2032 में लगातार समरी खसरा संख्या 53, 54 में कुल रकबा 862.10 बीघा भूमि पर मघसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत भाटी जसोड़ साकिन दैह खातेदार दर्ज रहा है। (प्रदर्श–6)खसरा गिरदावरी(चतुर्वर्षीय) ग्राम दवाड़ा संवत 2019 से संवत 2022, (प्रदर्श–7)खसरा गिरदावरी(चतुर्वर्षीय) ग्राम दवाड़ा संवत 2021 से संवत 2024, प्रदर्श–8)खसरा गिरदावरी(चतुर्वर्षीय) ग्राम दवाड़ा संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श–9)खसरा गिरदावरी(चतुर्वर्षीय) ग्राम दवाड़ा संवत 2029 से संवत 2032 उक्त खसरा गिरदावरी से भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त साबित होता है। ढालबांछ (प्रदर्श–10) ग्राम दवाड़ा संवत 2020 में खातेदार सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत भी साकिन देह खातेदार एवं ढालबांछ (प्रदर्श–11) ग्राम दवाड़ा संवत 2032 में खातेदार सोहनसिंह पुत्र हीरसिंह समरथसिंह पुत्र नगसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार जुर्माना कायमी हुई। जिससे यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का लगतार कब्जा काश्त रहा है। संवत 2069 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें वादी जेठूसिंह मनोहरसिंह पुत्र श्री मगसिंह राजपूत निवासी दवाड़ा का खसरा संख्या 681 में रकबा 20 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया। खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त ग्राम दवाड़ा संवत 2065 विशिष्टियों सहित काश्तकार मगसिंह पुत्र सोनसिंह, जेठूसिंह, मनोहरसिंह पुत्रान मगसिंह द्वारा खसरा संख्या 681 रकबा 156.05 बीघा पर ग्वार की काश्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह भीखसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र 58 साल निवासी दवाड़ा तहसील फतेहगढ ने अपने शपथ पूर्वक कथन करता हुए बताया कि वादीगण के पूर्वज स्व. मघसिंह की खातेदारी समरी की भूमि मौजा दवाड़ा के खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 53 रकबा 287.10 बीघा तथा खसरा संख्या 54 रकबा 575 बीघा किस्म बाजरिया आया हुआ है। जिसके नये खसरा संख्या 662, 671, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 710, 711, 712, 713, 714 की भूमि पर समरी से लेकर वादीगण के पूर्वज का कब्जा काश्त था तथा उनकी फौतगी पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त निरंतर, निर्बाध रूप से आज दिन तक चला आ रहा है। जिस पर वादीगण के पूर्वजों की रहवासी ढाणी, पानी का टांका, खलिहान, प्राकृतिक धोरा आदि वादीगण के पूर्वजों के समय से ही बनी हुई है जिस पर वादीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे तथा अन्य गवाहन के बयान वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह हरिराम विश्नोई पटवारी मूलाना (अति चार्ज) ने अपने बयान में दिनांक 24.10.2013 को यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त के खसरा 681, 682, 683 की भूमि मौके पर काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि वादीगण के वालीदान के अन्य खातेदारी खेतों के पास है उक्त खसरा संख्या 681, 682, 683 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। जिससे साबित होता है कि वादीगण/रेस्पोडेंट का अपीलाधीन आराजी पर अतिचार रहा है। समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 53, 54, 58 व 59 का खातेदारी रेकर्ड 2032 तक उपलब्ध है। समरी खसरा संख्या 53, 54, 58 व 59 से स्थाई सैटलमेंट के वक्त सृजित खसरा संख्या 681 रकबा 156.05 बीघा, खसरा संख्या 682 रकबा 153.14 बीघा व खसरा संख्या 683 रकबा 114.05 बीघा भूमि तुलनात्मक रजिस्टर में व खसरा बंदोबस्त में वादीगण के वालिदान के नाम खातेदारी में दर्ज रहा है। जिसको स्थाई सैटलमेंट के समय काटा गया है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण के वालिदान की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

1- RRT 2003(2) Page 1027 (Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec. 88 Suit for declaration & correction of entries Old Kh. No. 25 recorded as khudkast in summary settlement in the name of ptff. Jamabandi of Svt. 2016 to 2028 are sufficient to prove khatedari of ptff-Under Section 13 of the jagir Act, khudkast land holder will be khatedar tenant Settlement authorities have no powers

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

to change the existing entries without order of competent Court Concurrent findings of Courts below No case made out for interference.)

2. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

3- RRT 2013(1) Page 226 (Rajasthan Tenancy Act, 1955 Secs. 88, 188 & 53 Declaration partition & permanent injunction RAA set aside the judgment & decree passed by the trial Court Shere of K was recorded as 1/3 & 2/3 share of B was recorded in Jamabandi of Svt. 2037 to 2040 Settlement authorities are not competent to change the previous existed entries Plaintiffs were recorded khatedar tenant from Svt. 2012 to 2040 Changes made by the settlement departmentare without jurisdiction Held, Judgment passed by RAA is set aside & judgment & decree passed by the Trial Court is affirmed.)

अधीनस्थ न्यायालय में भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 22/2009 बनवान मघसिंह का मु नाथुसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2014 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

03/1/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner